बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०–1/प्री–मैट्रिक के०प्रा०यो०–07/2010–

प्रेषक,

ऋषि कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत राज्यांश हेतु कुल राशि रू० 1751.40 लाख (रू० सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चालीस हजार) मात्र के स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–88, दिनांक–13.08.206 एवं विभागीय आवंटनादेश सं०–89, दिनांक–13.08.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के राज्यांश हेतु दायित्व के भुगतान हेतु SNA Module के तहत कुल राशि रू० 1751.40 लाख (रू० सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चालीस हजार) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्रदान किया गया था।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के कंडिका–05 में SNA Account-40661887820, IFSC Code- SBIN0000153, State Bank of India, Secreteriat Branch, Patna में राशि अन्तरण करने का दिशा निर्देश निर्गत अंकित था। किन्तु कोषागार कार्यालय, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा आपति किये जाने तथा विपत्र को पारित नहीं किये जाने के फलस्वरूप संचिका के माध्यम से वित्त विभाग, बिहार, पटना से परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि ऐसे केन्द्र प्रायोजित स्कीम जिन्हें SNA SPARSH पर ऑनबोर्डिंग कर दिया गया है वैसे स्कीम से संबंधित पुर्व का SNA खाता को बंद कर दिया जाना है। इसी क्रम में विभाग द्वारा SNA खाता को बंद करने कि कार्रवाई करते हुए उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना को SNA SPARSH पर ऑनबोर्डिंग कर दिया गया है।

3. वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–88, दिनांक–13.08.2026 एवं आवंटनादेश सं०–89, दिनांक–13.08.2026 द्वारा केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत दायित्व राज्यांश हेतु रू० 1751.40 लाख (रू० सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चालीस हजार) मात्र के स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश को रदद् किया जाता है।

4. उक्त पर वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(ऋषि कुमार),
सरकार के संयुक्त सचिव।
पटना, दिनांक–

ज्ञापांक– 1/प्री–मैट्रिक के०प्रा०यो०–07/2010–

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक– 1/प्री–मैट्रिक के०प्रा०यो०–07/2010– 1960 पटना, दिनांक– 21/10/26

प्रतिलिपि–अपर सचिव कोषांग/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव (बजट शाखा)/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई० टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।